बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या.4/वि0–4–1017/2005–.....180.....सा0/, पटना–15, दिनांक....16.6.2010

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश उपभोग के संबंध में निहित अनुदेशों का पालन कर्मियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आकस्मिक अवकाश का आवेदन बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृत कराये ही कर्मचारी अवकाश में प्रस्थान कर जाते हैं, जो उनकी अनुशासनहीनता का द्योतक है। विभाग ऐसी कार्रवाई को गंभीरता से लेती है। उल्लेखनीय है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है।

अतः एतद् द्वारा सभी कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि आकस्मिक अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व अपने सक्षम प्राधिकार से आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राप्त कर ही अवकाश में प्रस्थान करें। अपवादस्वरूप किसी कर्मी के आकस्मिक बिमार पड़ जाने अथवा अन्य आकस्मिकता को छोड़कर जो कर्मी बिना सक्षम प्राधिकार से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये बिना अवकाश में प्रस्थान करेंगे,तो उस दिन उन्हें अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी जायेगी।

15/6/10

(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–– 4/वि0–4–1017/2005–.....180.....सा0/, पटना–15, दिनांक....16.06.2010

प्रतिलिपि विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग/सभी कर्मियों,सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/10

सरकार के उप सचिव।